Board of Revenue For Rajasthan Ajmer
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील/एल.आर./2391/2002/नागौर

रामचन्द्र पुत्र आईदान राम जाति जाट, निवासी ग्राम बासनी तेजा, तहसील मेडता, जिला नागौर

-- अपीलाण्ट

बनाम

1- रामनारायण पुत्र बुधाराम जाति जाट, निवासी ग्राम बासनी तेजा, तहसील मेडता सिटी, जिला नागौर।
2- भागू पुत्र आईदानराम जाति जाट, निवासी ग्राम बासनी तेजा, तहसील मेडता, जिला नागौर।
3- राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, मेडता, नागौर।

-- रैस्पोण्डेण्ट

एकल-पीठ
श्री महावीर सिंह, सदस्य

उपस्थिति :-
(1) श्री मुकेश जैन, अभिभाषक अपीलार्थी
(2) श्री भींयाराम चौधरी, अधिवक्ता अपीलार्थी
(3) श्री योगेन्द्र सिंह, अधिवक्ता रैस्पो0 संख्या-1

निर्णय

दिनांकः 23-05-2018

हस्तगत द्वितीय अपील धारा 76, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 (संक्षेप में अधिनियम, 1956) के तहत विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर द्वारा प्रकरण संख्या 88/1995 अनुवानी रामनारायण बनाम भागू में पारित निर्णय दिनांक 22-03-2002 के विरुद्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

2- प्रकरण के संक्षिप्त एवं सारगर्भित तथ्य इस प्रकार हैं कि उपखण्ड अधिकारी, मेडता द्वारा राजस्व अभियान कैम्प गठिया में दिनांक 21-6-1984 को ग्राम बासनी तेजा, तहसील मेडता स्थित खसरा नम्बर 5 रकबा 22 बीघा 9 बिस्वा भागू, रामचन्द्र पि0 आईदीन के पक्ष में नियमन किया गया। उक्त आदेश के विरुद्ध अपीलार्थी/रैस्पो0 संख्या-1 रामनारायण द्वारा अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत अपील प्रस्तुत की गई। विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर द्वारा निर्णय दिनांक 22-03-2002 से अपील को आंशिक रुप से स्वीकार कर प्रकरण को सलाहकार समिति, मेडता को प्रति प्रेषित किया है। इस निर्णय के विरुद्ध मण्डल के समक्ष हस्तगत द्वितीय अपील है।

3 – अभिभाषकगण उभय पक्ष की बहस अपील पर सुनी गई ।

4– अपीलार्थी के योग्य अभिभाषकगण ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को बहस में दोहराते हुये कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी, मेडता द्वारा राजस्व अभियान कैम्प गठिया में दिनांक 21–6–1984 को ग्राम बासनी तेजा, तहसील मेडता स्थित खसरा नम्बर 5 रकबा 22 बीघा 9 बिस्वा रैस्पो0 संख्या–2 भागू, अपीलार्थी रामचन्द्र पि0 आईदीन के पक्ष में नियमन किया गया है। नियमन आदेश के अध्ययन से सुस्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि पर सम्वत् 2032 से कब्जा काश्त होना मानते हुये, पटवारी की विधिवत रिपोर्ट लेते हुये, नियमन की पात्रता का परीक्षण करते हुये, विधिक रुप से नियमन का आदेश जारी किया गया है। पत्रावली पर इसके विपरीत किसी प्रकार का अन्य साक्ष्य नहीं रहा है जिससे कि ये नियमन अवैधानिक हो और निरस्त किये जाने योग्य हों। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष वर्तमान रैस्पो0 संख्या–1 की ओर से असत्य तथ्य अंकित करते हुये, नियमन आदेश से करीब 11 वर्ष पश्चात् दिनांक 16–9–1985 को, निर्धारित मियाद समय सीमा के उपरान्त अपील प्रस्तुत की थी। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष वर्तमान अपीलार्थी व रैस्पो0 संख्या 2 के द्वारा स्पष्ट रुप से धारा 5 के प्रार्थना पत्र का जबाब प्रस्तुत किया गया था और अपील को मियाद के बाहर मानते हुये मियाद के बिन्दु पर ही खारिज करने का निवेदन किया गया था किन्तु अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने प्रकरण में गुणावगुण पर परीक्षण किया और इसमें मियाद के बिन्दु को तय ही नहीं किया गया। योग्य अधिवक्ता ने ये भी कथन किया कि अपीलीय न्यायालय द्वारा हमें सुनवाई का अवसर भी प्रदान नहीं किया और विधि विपरीत निर्णय पारित करते हुये, अपील को स्वीकार कर, हमारे पक्ष में नियमानुकूल तरीके से पारित किये गये नियमन आदेश दिनांक 21–6–1984 को खारिज किया गया है। अन्त में योग्य अधिवक्ता ने अधीनस्थ प्रथम अपीलीय न्यायालय के निर्णय को अनुचित बताते हुये, अपील स्वीकार कर प्रथम अपीलीय न्यायालय के निर्णय को निरस्त करने व नियमन आदेश दिनांक 21–6–1984 को यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

5– रैस्पो0 के योग्य अधिवक्ता का बहस में कथन रहा है कि नियमन आदेश दिनांक 21–6–1984 विधि विपरीत तथा भौतिक स्थिति के विपरीत जाते हुये जारी किया गया है। प्रश्नगत भूमि प्रारम्भ से ही अपीलार्थी के पिता के कब्जे काश्त में रही है और समय समय पर धारा 91, भू राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही होती रही है। नायब तहसीलदार ने पुराना कब्जा मानते हुये आदेश दिनांक 12–4–1977 से प्रकरण नियमन योग्य मानते हुये, नियमन हेतु अनुशंषा करते हुये उपखण्ड अधिकारी को भिजवाया था। इस प्रकार स्पष्ट है कि वर्तमान अपीलार्थी व रैस्पो0 संख्या–2 का प्रश्नगत भूमि पर किसी प्रकार का कब्जा नहीं रहा है और गलत प्रकार से कब्जा बताते हुये आराजी को इनके पक्ष में दिनांक 21–6–1984 को नियमन किया गया है। योग्य अधिवक्ता ने कथन किया कि रैस्पो0 संख्या– 1 को इस आदेश का ज्ञान समय पर नहीं हुआ जिससे उक्त आदेश का अपील समय के

अन्दर अधीनस्थ प्रथम अपीलीय न्यायालय में नहीं की जा सका। अपील पेश करने में हुई देरी के कारणों को स्पष्ट करने के लिये व अपील करने में हुई देरी को क्षमा किये जाने हेतु मियाद अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया था। देरी के कारण संतोष प्रद व औचित्य पूर्ण होने से ही अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित किया है। अन्त में योग्य अधिवक्ता ने अपील खारिज करने का अनुरोध किया।

6– अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के निर्णय व अन्य उपलब्ध अभिलेख का अध्ययन किया।

7– पत्रावली के अवलोकन से पाया जाता है कि उपखण्ड अधिकारी, मेडता द्वारा राजस्व अभियान कैम्प गठिया में दिनांक 21–6–1984 को ग्राम बासनी तेजा, तहसील मेडता स्थित खसरा नम्बर 5 रकबा 22 बीघा 9 बिस्वा को वर्तमान रैस्पो0 संख्या–2 भागू, वर्तमान अपीलार्थी रामचन्द्र पि0 आईदीन के पक्ष में नियमन किया गया है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष वर्तमान रैस्पो0 संख्या–1 की ओर से नियमन आदेश दिनांक 21–6–1984 को अपील के माध्यम से दिनांक 16–9–1985 को चुनौती दी। इस अपील में प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम का वर्तमान अपीलार्थी व रैस्पो0 संख्या 2 के द्वारा जबाब भी प्रस्तुत किया गया है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के निर्णय के अवलोकन से पाया जाता है कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायलाय द्वारा भागू व रामचन्द्र का पक्ष नहीं सुना गया है और ना ही अपील में प्रस्तुत किए गए मियाद के प्रार्थना पत्र पर किसी प्रकारी का विवेचन किया गया है। अपीलार्थी रामचन्द्र व रैस्पो0 संख्या–2 भागू के पक्ष में जो नियमन आदेश जारी किया गया है उसमें दोनों का सम्वत् 2032 से पूर्व का कब्जा होना, पटवारी रिपोर्ट के अनुसार पूर्व में इनकी खातेदारी में नियमन सीमा से कम भूमि होना माना है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय को दिनांक 21–6–1984 के नियमन आदेश को खारिज करने से पूर्व न्याय हित में वर्तमान अपीलार्थी व वर्तमान रैस्पो0 संख्या–2 को पूर्ण रुप से सुनवाई व अपना पक्ष रखने का उचित अवसर प्रदान कराना चाहिए था। आर.आर.टी. 2009 (2) पेज 931 के अनुसार नैसर्गिक न्याय के परिप्रेक्ष्य में यथोचित अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक रहता है। इसके अलावा निर्णय के अनुसार ये भी पाया जाता है कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा अपील में गुणावगुण पर परीक्षण से पूर्व मियाद के बिन्दु को तय किया जाना आवश्यक था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने प्रकरण रामकली देवी बनाम मैनेजर पंजाब नेशनल बैंक शाहबाद व अन्य जे.टी. 1998 (8) एस.सी. पेज 529 में इसी प्रकार कर मत प्रतिपादित किया है । अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने प्रकरण को गुणावगुण पर तय किया है किन्तु उनके द्वारा मियाद के बिन्दु पर कोई निर्णय ही नहीं किया गया है। अतः इस प्रकार की स्थिति में उभय पक्ष को विधिवत सुनते हुये व गुणावगुण पर निर्णय से पूर्व मियाद के बिन्दु को तय करने के लिये प्रकरण को पुनः परीक्षण हेतु प्रति प्रेषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

8– फलतः अपील आंशिक रुप से स्वीकार की जाती है। विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर द्वारा प्रकरण संख्या 88/1995 अनुवानी रामनारायण बनाम भागू में पारित निर्णय दिनांक 22–03–2002 को निरस्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय को प्रति प्रेषित करते हुए निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में उभय पक्ष को विधिवत सुनते हुये, प्रकरण में पुनः नियमानुकूल निर्णय पारित करें। उभय पक्ष को निर्देशित किया जाता है कि वे दिनांक 21–06–2018 को राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर के न्यायालय में उपस्थित हो कर अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(महावीर सिंह)
सदस्य